न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारी:– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 78/2021

दायर दिनांक: 30.09.2021

उनवान

1. नाथूलाल पि. भेरू जाति तेली नि. धरोनिया तहसील पिडावा

प्रार्थी

बनाम

1. मोतीलाल पि. रामचन्दर जाति तेली नि. धरोनिया तहसील पिडावा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :–

प्रार्थी :– विद्वान अभिभाषक श्री पूरीलाल राठौर

अप्रार्थी :– एकतरफा

निर्णय

दिनांक 17.10.2024

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि उपरोक्त उनवान का वाद ठोस आधारों पर श्रीमान् की सेवामें प्रस्तुत कर दिया है जिसमें वर्णित विवरणों के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनो की भूमियां ग्राम धरोनिया की ख.नं. 863/1924 एवं ख.नं. 863/1923 आपस में मिली हुई है, जिस सीमा रेखा पर दोनो की भूमियां मिली हुई थी उस सीमारेखा पर काफी पेड–पौधे खडे थे एवं मेड बनी हुई थी। प्रतिवादी/अप्रार्थी द्वारा सीमारेखा पर खडे पेड–पौधों को दिनांक 23.09.2021 को काटकर मेड को हंकवा दिया। अब अप्रार्थी प्रार्थी की भूमि में अवैधानिक प्रवेश कर प्रार्थी को धमकी दे रहा है कि वह प्रार्थी की एक बिस्वा भूमि जो उसकी भूमि के सामान्तर तामिर करने पर आमदा है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है एवं सुविधाओ का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी को उसके अवैधानिक कृत्य एवं उसके संभावित उद्देश्य से नहीं रोका गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। अतः वाद के निस्तारण तक की अवधि के लिये अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह प्रार्थी के खातेदारी में स्थित भूमि में अवैधानिक हस्तक्षेप, अतिक्रमण एवं तामि[illegible] करें एवं न ही किसी अन्य से करावे। अन्य न्यायेचित [illegible] दी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:35:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

(4)

2 प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा। अतः मुताबकि आदेशिका दिनांक 10.10.2024 को अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

3 अभिभाषक प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ग्राम धरोनिया की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 863/1923 का रिकार्डेड खातेदार कृषक है। प्रार्थी की आराजी ख.नं. 863/1923 से लगवा अप्रार्थी की आराजी ख.नं. 863/1924 स्थित है। अप्रार्थी द्वारा सीमीरेखा/मेड के समीप प्रार्थी की आराजी पर हरे पेड पौधों लगे हुए थे अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की मेड के सहारे खडे हरे पौधों को दिनांक 23.09.2021 को काटकर दोनो खेत के बीच की मेड को हंकवा दिया है एवं प्रार्थी की भूमि में अवैधानिक रूप से प्रवेश कर कब्जा करने पर आमदा है जिससे प्रार्थी को भारी क्षति की संभावना बनी हुई है। अतः प्रकरण में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। माननीय न्यायालय से निवदेन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

4 बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। धारा 212 आरटीएक्ट के प्रार्थना पत्र को अभिनिर्धारित करने के लिए प्रकरण को निम्न तीन बिन्दुओं पर जांचना आवश्यक है :–

(अ) <u>प्रकरण प्रथम दृष्टया</u>– ग्राम धरोनिया की जमाबन्दी संवत 2074–77 के अनुसार विवादित आराजी खाता संख्या 216 का ख.नं. 863/1923 रकबा 0.0379 है0 भूमि का प्रार्थी नाथू पि. भेरू जाति तैली रिकार्डेड खातेदार कृषक है जबकि इसके लगवा भूमि आराजी ख.नं. 863/1924 अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी की वादग्रसत आराजी पर अप्रार्थी का कोई हक वअधिकार निहित होने का कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर उलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा सशपथ कथन किया गया है कि अप्रार्थी बजरन उसकी आराजी पर स्थित हरे पौधो को काटना पर आमदा है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:35:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(ब) सुविधा का संतुलन – प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित है। प्रार्थी द्वारा सशपथ कथन किया है कि उसके खेत ख.नं. 863/1923 में मेड के सहारे खड़े हरे पेड़ पौधों को अप्रार्थी द्वारा जबरन काट दिये है और मेड को भी हंकवा दिया है। प्रार्थी द्वारा इसके समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की लेकिन अप्रार्थी के न्यायालय से अनुपस्थित रहने से भी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि अप्रार्थी को अपने पक्ष में कुछ पेश नही करना है। यह सही है कि अप्रार्थी को न केवल प्रार्थी की भूमि में खड़े हरे पेडों को काटने का कोई हक व अधिकार है बल्कि स्वयं के खेत पर खड़े हरे पेडों को भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना काटना आर.टी.एक्ट की धारा 83–84 में अनुमत नही है। आर.टी.एक्ट की धारा 83–84 के प्रावधान निम्नानुसार है –

83. Trees not removable except as provided— Notwithstanding anything to the contrary in any law custom or contract, no trees standing on occupied or unoccupied land shall be removable therefrom except as provided in section 84.

84. When and by whom trees may be removed- (1) **Omitted.**

(2) A Khatedar tenant holding land below the ceiling area may remove trees standing on his holding for any purpose;

Provided that no such tenant-shall remove trees for purpose other than his bonafide or agricultural use except with the permission of such authority and subject to such terms and conditions as may be prescribed by the State Government.

(3) A Gair Khatedar tenant may, with the previous permission of the Tehsildar, remove any trees standing on his holding for his own domestic or agricultural use.

(4) A sub-tenant may, with the previous permission of the person from whom he holds, remove any trees standing on his holding for his own domestic or agricultural use.

(5) A Khatedar tenant holding land in excess of the ceiling area desiring to remove any trees which vest in him or are in his

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:35:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

possession may do so under a licence to be granted by the Sub-Divisional Officer.

(6) Upon receipt of an application under sub-section (5), the Sub-Divisional Officer may after making such inquiry as may be necessary in the prescribed manner and taking in to consideration the prescribed matter, grant the requisite licence in the prescribed form on payment of the prescribed fee subject to such terms, restrictions, as may be prescribed.

(7) Nothing in this section shall apply to the State Government or affect the right or power of the State Government to remove or cause to be removed or order the removal of any tree standing on any land entered in the name of the State in Revenue Records for any purpose.

यदि किसी आराजी पर खडे हरे पेडो की कटाई को लेकर कोई विवाद है तो यह विवाद धारा 85 आर.टी.एक्ट में तहसीलदार द्वारा अभिनिर्धारित किया जावेगा, न कि संबंधित काश्तकार द्वारा निर्धारित होगा। अप्रार्थी के वाबजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहकर कोई जवाब/साक्ष्य पेश नहीं करने से जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा हरे पेड पौधो को काटा गया है। अतः यदि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के खेत या दोनो की मेड से सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अवैध रूप से हरे पौधे काटे गये है तो आर.टी.एक्ट की धारा 83–84 के प्रावधानों का उल्लघंन है। अतः प्रकरण में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

(स) <u>अपूर्णीनीय क्षति</u> – हस्तगत प्रकरण में, प्रकरण प्रथम दृष्टया और सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार कृषक होकर कब्जा धारी काश्तकार है। यदि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की कृषि आराजी ख.नं. 863/1923 भूमि पर मेड के सहारे खडे हरे पेड पौधों को काटा गया है तो प्रार्थी को अपूर्णीनीय क्षति की संभावना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:35:45 IST
Reason: SelfAttested

5. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार [illegible] बरोनिया की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 863/1923 रकबा [illegible] है0 भूमि के [illegible] में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट [illegible] अप्रार्थी को इस आशय

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

की अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वह प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम धरोनिया की आराजी ख.नं. 863/1923 रकबा 0.0379 है0 में स्वयं या किसी अन्य प्रतिनिधी के द्वारा अवैधानिक हस्तक्षेप व अतिकमण नहीं करे।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2024 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 10:35:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner